

46

समाहरणालय, बक्सर
(आपदा प्रबंधन शाखा)

पत्रांक 684 / आ०

प्रेषक,
जिला पदाधिकारी,
बक्सर

सेवा में,
नजारत उपसमाहर्ता, बक्सर।
सभी अंचल अधिकारी,
बक्सर जिला।

बक्सर, दिनांक 17 / 06 / 2020

विषय : **CFMS** द्वारा **Head of Account-39-2245-02-101-0002-NA** के अंतर्गत पोषाहार (सामुदायिक किचन-कोविड-19) में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु अतिरिक्त राशि 2,61,00,000/- (दो करोड़ एकसठ लाख) रूपया मात्र का उपावटन।

प्रसंग : इस कार्यालय के पत्रांक- 306/आ० दिनांक 21.04.2020, पत्रांक- 423/आ० दिनांक 02.05.2020 पत्रांक- 568/आ० दिनांक 25.05.2020 तथा आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार का **Order No.-1718 Date 02-06-2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा **CFMS Portal पर Head of Account-39-2245-02-101-0002-NA** के अंतर्गत पोषाहार (सामुदायिक किचन-कोविड-19) मद पूर्व में 1,25,00,000/- (एक करोड़ पचीस लाख) रूपये राशि का उपावटन किया गया है। पुनः उक्त मद में **Allotment Id- 257215** द्वारा पोषाहार मद में 2,65,00,000/- (दो करोड़ पन्द्रह लाख) रूपये का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त कराया गया है।

प्राप्त आवंटन 2,65,00,000/- (दो करोड़ पन्द्रह लाख) रूपया मात्र से 2,61,00,000/- (दो करोड़ एकसठ लाख) राशि निम्नवत आपको उपावटित किया जाता है :-

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	पोषाहार (सामुदायिक किचन)		कुल उपावटित राशि
		पूर्व में उपावटित राशि	वर्तमान में उपावटित राशि	
1	2	3	4	5
1	नजारत उपसमाहर्ता, बक्सर	450000.00	2500000.00	2950000.00
2	अंचल अधिकारी, बक्सर	1157620.00	2500000.00	3657620.00
3	अंचल अधिकारी, राजपुर	2046561.00	2500000.00	4546561.00
4	अंचल अधिकारी, इटाही	1710687.00	2500000.00	4210687.00
5	अंचल अधिकारी, चौसा	794795.00	2500000.00	3294795.00
6	अंचल अधिकारी, डुमराँव	1129368.00	2500000.00	3629368.00
7	अंचल अधिकारी, नावानगर	1376765.00	2500000.00	3876765.00
8	अंचल अधिकारी, सिमरी	1190892.00	2500000.00	3690892.00
9	अंचल अधिकारी, ब्रह्मपुर	1413940.00	2500000.00	3913940.00
10	अंचल अधिकारी, चक्की	245873.00	1200000.00	1445873.00
11	अंचल अधिकारी, चौगाई	498921.00	1200000.00	1698921.00
12	अंचल अधिकारी, केसठ	484578.00	1200000.00	1684578.00
13	जिला में सुरक्षित	500000.00	400000.00	900000.00
	कुल योग :-	13000000.00	26500000.00	39500000.00

कुल उपावटित राशि 2,61,00,000/- (दो करोड़ एकसठ लाख) राशि की निकासी निम्न शर्तों के तहत की जायेगी :-



1. यह आवंटन कोविड -19 के संक्रमण के रोकथाम एवं सामुदायिक किचेन/पंचायत कोरंटाइन कैम्प के संचालन हेतु वर्ष 2020-21 में होने वाले व्यय के लिये निर्गत किया जा रहा है। उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। आवंटित की गयी राशि की निकासी अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजते हुए शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 31.12.2020 तक अवश्य भेज दी जाय ।
2. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड़ का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष / उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
3. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561वि0(2) दिनांक- 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
4. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन दिनांक- 31.12.2020 तक निश्चित रूप से कर दे, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी। राशि की निकासी कर बैंक खाता में नहीं रखी जाय।

विश्वासभाजन,

80

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक.....684...../आ0 दिनांक.....17-06-2020.....

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/डुमराँव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : डी0आइ0ओ0, एन0आई0सी0, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर/डुमराँव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

17/6/2020
जिला पदाधिकारी,
बक्सर